न्यायालय में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

1. शान्ति देवी पत्नी स्व0 नत्थू लाल गुप्ता
2. कृष्ण कुमार गुप्ता पिता स्व0 नत्थू लाल गुप्ता
3. राजकुमार गुप्ता पिता स्व0 नत्थू लाल गुप्ता
4. माया गुप्ता पिता स्व0 नत्थू लाल गुप्ता
5. मनोरमा गुप्ता पिता स्व0 नत्थू लाल गुप्ता
6. अनुराधा गुप्ता पिता स्व0 नत्थू लाल गुप्ता

सभी निवासी वार्ड कं0–12 अनूपपुर, थाना व तहसील–अनूपपुर, जिला अनूपपुर म0प्र0 ....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. अनूप मुखर्जी पिता शम्भूनाथ मुखर्जी निवासी वार्ड कं0–11 अनूपपुर, थाना व तहसील–अनूपपुर, जिला अनूपपुर म0प्र0
2. म0प्र0 शासन ....गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध श्रीमान् कमिश्नर महोदय शहडोल के प्र0कं0–192/निगरानी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2015 एवं अपर कलेक्टर महोदय अनूपपुर के प्र0कं0–44/निगरानी/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 23.06.2010 निगरानी अंतर्गत धारा–50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य–

यह कि ग्राम–अनूपपुर स्थित आ0ख0नं0–355/2887/3 रकबा–0.020 हे0, ख0नं0–355/2888 रकबा–0.049 हे0, ख0नं0–355/2829/2 रकबा–0.024 हे0 भूमि निगरानीकर्तागण के पिता स्व0 नत्थूलाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय की गयी थी, चूँकि नत्थू

//2//

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 4234–दो/15 जिला–अनूपपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–04–17	आवेदकगण के अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित होकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण कमांक 192/निगरानी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 14.7.15 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने ग्राह्यता के तर्क में कहा गया है कि ग्राम अनूपपुर स्थित आराजी खसरा न0 355/2887/3 रकवा 0.020 है0 खसरा न0 355/2888/2 रकवा 0.024 है0 भूमि आवेदकगण के पिता स्व0 नत्थूलाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गयी थी चूंकि नत्थू लाल की मृत्यु दिनांक 27.9.15 को हो जाने के पश्चात फौती नामांतरण निगरानीकर्तागण के नाम पर हो चुका है तथा वाद भूमियों पर निगरानीकर्तागण का मौके से पिता द्वारा निर्मित मकान वाउन्ड्री बनाकर काबिज दाखिल है। उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि अनावेदक कमांक–1 द्वारा सीमांकन कराया गया था जो तहसीलदार द्वारा आपत्ति निरस्त कर दी थी जिसके विरूद्व वह अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो उनके द्वारा प्रकरण तहसीलदार के यहां प्रत्यावर्तित किया गया और उसके विरूद्व आवेदकगण द्वारा आयुक्त शहडोल के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अपर कलेक्टर अनूपपुर का आदेश उचित मानते	

हुये निगरानी निरस्त की है। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में लगभग 17 माह विलंब से प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ आवेदकगण द्वारा धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया एवं निगरानी मेमों के साथ में उनके द्वारा आवेदक पक्षकार मानते हुये निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति का आवेदन पत्र एवं शपथपत्र, धारा 52 का आवेदन मय शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है, उनके द्वारा प्रकरण ग्राह्य कर आवश्यक पक्षकार बनाकर स्थगन दिये जाने का भी अनुरोध किया गया है।

3– मेरे द्वारा आवेदकगण के अधिवक्ता ग्राह्यता पर तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा –5 के आवेदन में जो तथ्य दर्शाये गये है वह क्षमा योग्य नहीं है। आवेदकगण द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके। समयावधि वाह्य प्रकरण में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधान कारक कारण दर्शाया जाना चाहियें आवेदकगण, एवं उसके अधिवक्ता विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि वाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य